कार्यवाही विवरण

मेसर्स एम.आर. इंटीग्रेटेड स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड ग्राम–कोनका एवं रौंदा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में **Establishment of Greenfield Steel Plant comprising of DRI Kilns (Sponge Iron- 1,75,200 TPA), Induction Furnace with matching CCM (90% Hot Billets remaining 10% Billets-1,65,600 TPA), Rolling Mills (TMT bars/Structural Steel) (Hot charging with Hot Billets and Billets through RHF with producer gas as fuel-2,07,000 TPA), Coal Gasifier -4000 NM^3/Hr., Ferro Alloy Unit 1x9 MVA & 1x7.5 MVA (FeSi-12,800 TPA/FeMn-36,600 TPA/SiMn- 25,600 TPA/FeCr-27,000 TPA/Pig Iron-44,000 TPA), Briquetting Plant (200 Kg/Hr.) WHRB based Power Plant-2x5 MW, FBC based Power Plant -1x5 MW & Brick Manufacturing unit (20,000 Bricks/Day)** के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स एम.आर. इंटीग्रेटेड स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड ग्राम–कोनका एवं रौंदा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में Establishment of Greenfield Steel Plant comprising of DRI Kilns (Sponge Iron-1,75,200 TPA), Induction Furnace with matching CCM (90% Hot Billets remaining 10% Billets-1,65,600 TPA), Rolling Mills (TMT bars/Structural Steel) (Hot charging with Hot Billets and Billets through RHF with producer gas as fuel- 2,07,000 TPA), Coal Gasifier -4000 NM^3/Hr., Ferro Alloy Unit 1x9 MVA & 1x7.5 MVA (FeSi-12,800 TPA/FeMn-36,600 TPA/SiMn- 25,600 TPA/FeCr-27,000 TPA/Pig Iron-44,000 TPA), Briquetting Plant (200 Kg/Hr.) WHRB based Power Plant-2x5 MW, FBC based Power Plant -1x5 MW & Brick Manufacturing unit (20,000 Bricks/Day) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत् परियोजना प्रस्तावक के आवेदन के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय समाचार पत्र फाईनेंशियल एक्सप्रेस, नई दिल्ली में दिनांक 14/06/2025 एवं दैनिक समाचार पत्र नवभारत, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में दिनांक 14/06/2025 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 16/07/2025 को समय दोपहर 12:00 बजे, स्थान– परियोजना स्थल खसरा क्रमांक 505 नवागांव रौंदा चौक के पास, ग्राम रौंदा, विकासखण्ड व तहसील धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय अधिकारी, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर जिला–दुर्ग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला–दुर्ग, मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत नवागांव (सा), तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव,

ग्राम पंचायत रौंदा, तहसील– धमधा, जिला–दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला, भिलाई, जिला–दुर्ग एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, सेक्टर–19 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में 18 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त हुई है।

उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 16/07/2025 को दोपहरः 12:20 बजे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में स्थान–परियोजना स्थल खसरा कमांक 505 नवागांव रौंदा चौक के पास, ग्राम रौंदा, विकासखण्ड व तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में लोकसुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई। तदोपरांत परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री अनिल कुमार अग्रवाल, डायरेक्टर द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई के द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने, आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित जनसमुदाय ने उक्त परियोजना के संबंध में अपना आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टीप्पणियां दर्ज कराया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री विनोद सेन, ग्राम–नवागांव, जिला–दुर्ग।**

➢ प्लांट में स्थानीय लोग कार्य करेंगे या बाहरी लोग कार्य करेंगे। यहां के स्थानीय लोग शिक्षित हैं।

2. **श्री ताकेश्वर कुमार वर्मा, ग्राम–कोनका, जिला–दुर्ग।**

➢ यहां कोई आपत्ति नही है। लेकिन जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिये उचित रोजगार होना चाहिए। यदि कोनका, नवागांव और रौंदा के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो हम आपत्ति दर्शाते हैं।

3. **श्री अजय सेन, ग्राम–कोनका, जिला–दुर्ग।**

➢ मेरा प्रश्न है यहां के उद्योग में रोजगार का निर्धारण शासन तय करेगा या कंपनी तय करेगा ? यदि कंपनी खुल गया तो काम हमसे करवाया जायेगा या ठेकेदार के माध्यम से करवाया जायेगा। इस क्षेत्र में पेयजल की बहुत समस्या है ऐसे में कंपनी पानी भूजल से लेगा तो भूजल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? उद्योग में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु क्या व्यवस्था होगी ?

4. **श्रीमती निलापा यादव, ग्राम–रौंदा, जिला–दुर्ग।**

➢ पानी की व्यवस्था गांव में नही हो पायेगा ऐसे में कंपनी खुल रहा है। कंपनी खुलेगा तो उसमें कोनका, रौंदा के लोगों को ही काम मिलना चाहिए।

5. **श्री अरूण कुमार साहू , ग्राम–कोड़िया, धमधा, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं उद्योग का समर्थन करता हूं क्योंकि इससे लोगों को रोजगार मिलेंगा।

6. **पुनः उद्बोधन श्री विनोद सेन, ग्राम–नवगांव, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं इस गांव का हूं। यहां उद्योग खोलने के संबंध में कोई जानकारी नही मिला है न ही गांव के पंचायत में कोई बैठक हुआ है। यहां पर कोड़िया का आदमी जो बाहरी है वह आकर अपना अभिमत दे रहा है तो यहां पर बाहरी लोगों को अपना मत देने की कोई आपत्ति नहीं है।

7. **श्री रोहित साहू, ग्राम–कोनका, जिला–दुर्ग।**

➢ कंपनी से स्थानीय लोगों को क्या लाभ होगा उसका जानकारी देवें। कंपनी से जमीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी जानकारी दे। यहां के ग्राम कोनका, रौंदा और नवागांव के युवा एवं बुजुर्गो से काम करवाया जायेगा या बाहरी लोगों से काम करवाया जायेगा, जानकारी दे।

8. **श्री गोवर्धन प्रसाद, ग्राम–रौंदा, जिला–दुर्ग।**

➢ हमारे यहां जो उद्योग खुल रहा है उससे कई प्रकार के प्रदूषण होगा। क्या कंपनी किसी गांव को गोद ले सकता है ताकि गांव का विकास एवं चिकित्सा सुविधा हो सके ?

9. **श्री हरीशचंद चतुर्वेदी, ग्राम–उप सरपंच रौंदा, जिला–दुर्ग।**

➢ प्लांट खुलने से हमको कितना लाभ होगा और हमको कितना रोजगार मिलेगा ? प्रदूषण नियंत्रण के लिये क्या क्या व्यवस्था की जायेगी ? हम अवगत करवाया जाये कि गांव के विकास के लिये कंपनी क्या क्या करेगी ?

10. **श्री हेमू कुर्रे, ग्राम– रौंदा, जिला–दुर्ग।**

➢ गांव के जितने भैया लोग यहां बात किये, प्रदूषण के संबंध में या खेती के संबंध में बात किया गया, हम लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं। हमें अंग्रेजी समझ में नही आता है। कंपनी से हमारे फसल एवं जमीन में प्रदूषण होगा। कंपनी यहां गांव बांध से पानी लेगा या यहां–वहां से पानी लेगा जिससे यहां पानी की समस्या होगी। यहां किसानों की बहुत दुर्दशा होगी। इसीलिये हम लोग कंपनी से घोर आपत्ति है। हम चाहते हैं कंपनी न खुले। कंपनी खुलेगा तो यहां बहुत प्रदूषण होगा। यहां आसपास कृषि भूमि है, प्रदूषण से हमें और हमारे आने वाले पीढ़ी को बहुत समस्या होगी। हम कंपनी बिलकुल नही खुलने देंगे। कंपनी कहीं और खोल लिया जाये।

11. **तृतीय उद्‌बोधन श्री विनोद सेन, ग्राम–नवागांव, जिला–दुर्ग।**

➢ हम अपने जन प्रतिनिधि चुनते हैं इसीलिये जन प्रतिनिधियों को पहले बात रखनी चाहिए। हमारे पंचायत में 03 गांव है इसीलिये कंपनी खुलना चाहिए या नही तीनों गांव को आपस में बात करना चाहिए। मैं एक इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति हूं क्या कंपनी मुझे एक शासकीय इंजीनियर की तनख्वाह देगी ?

12. **श्री डोमेन्द्र साहू, ग्राम–कोनका, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं तिलदा रायपुर स्थित संभव स्टील प्लांट में इनटर्नशिप किया है। मैं वहा पर देखा हूं कि उद्योग से कितना प्रदूषण होता हैं कितना वेस्ट निकलता है। वहां मजदूरों के बहुत दयनीय स्थिति होती है। सड़कों पर गाड़ियों को लम्बी कतार लगी रहती है। कृषि भूमि की बहुत दुर्दशा होगी। यह उद्योग औद्योगिक क्षेत्र में स्थापना किया जाना चाहिए। यह एक आवासीय क्षेत्र है इसीलिये यहां प्लांट नहीं लगना चाहिए।

13. **श्री कमल कुमार, ग्राम–रौंदा, पंच, जिला–दुर्ग।**

➢ प्लांट से प्रदूषण होगा इसीलिये यह प्लांट नहीं खुलना चाहिए। पोटिया गांव में एक कार्बन फैक्ट्री है। वहां पर दुर्गन्ध की समस्या है। वहां आयल का लीकेज होने से एक व्यक्ति को 6 माह तक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसीलिये यहां पर यह प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

14. **श्री रामकृष्ण पटेल, ग्राम–कोनका, जिला–दुर्ग।**

➢ अगर यह कंपनी यहां पर खुला तो खेत बंजर हो जायेगा। धान, टमाटर और अन्य खेती नही हो पायेगा। इसीलिये कंपनी नहीं खुलना चाहिए।

15. **श्री खेमलाल वर्मा, ग्राम–रौंदा, जिला–दुर्ग।**

➢ यह कंपनी खुलने से मुझे आपत्ति है।

16. **श्री शिव कुमार पाल, ग्राम–रौंदा, जिला–दुर्ग।**

➢ पर्यावरण एवं जलवायु को देखते हुए मैं यह प्लांट को यहां खुलने से मना करता हूं।

17. **श्री शरद कुमार यादव, ग्राम–रौंदा, जिला–दुर्ग।**

➢ मेरा कहना है कि कंपनी खुलेगा तो लोगों को बहुत समस्या होगी क्योंकि हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है। इस कंपनी के खुलने से बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता हेागी जो गांव से लिया जायेगा। कंपनी से गांव में बहुत प्रदूषण भी होगा। यहां छोटे किसान एवं मजदूर लोग हैं जो खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। कंपनी खुलने से लोगों को आजीविका की समस्या होगी।

18. **श्री दयाराम साहू, ग्राम–कोहका, जिला–दुर्ग।**

➢ हमारे यहां पर स्टील प्लांट को बनने की कोई अनुमति नही दी जायेगी।

19. **श्री रामाधार पटेल, ग्राम–कोनका, जिला–दुर्ग।**

➢ यहां पर फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए।

20. **श्री जितेन्द्र कुमार साहू, ग्राम–कोनका, जिला–दुर्ग।**

➢ यहां धान की खेती होती है और सब जीवन यापन करते हैं। यदि यहां प्लांट लगता है तो यह हानिकारक है। हमारे किसानों को और सभी लोगों को प्लांट का अनुभव नही है। यह आपत्तिजनक है। अगर यह प्लांट फायदेमंद है तो आप भी अपने अनुमान के साथ काम करोगे ही।

21. **पुनः उद्‌बोधन श्री हरीशचंद्र चतुर्वेदी, ग्राम–रौंदा, जिला–दुर्ग।**

➢ हमारे जानकारी हुआ है कि उद्योग स्थापना का कार्य स्थानीय जन प्रतिनिधियों को गुमराह करके किया जा रहा है। यह जिला स्तर का कार्यक्रम है। जिसकी जानकारी न तो जनपद सदस्य को है और न ही जिला पंचायत सदस्य को है। हमारे जन प्रतिनिधि को ही अगर इसकी जानकारी नही है तो यह प्लांट नही खुलना चाहिए।

22. **श्री महेश कुमार यादव, ग्राम–नवागांव छुईहा, जिला–दुर्ग।**

➢ यह उद्योग औद्योगिक क्षेत्र में ही ठीक है। कृषि भूमि के आसपास ठीक नहीं है। यहां 5 किमी. के दायरे में कोई फैक्ट्री नहीं है इसीलिये यहां पर उद्योग नहीं लगना चाहिए।

23. **श्री सूर्यगुप्त मौर्या, ग्राम–रौंदा, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं पांच साल कंपनी एरिया में काम कर चुका हूं जिसका साईड इफेक्ट मुझे पता है। डस्ट और उसका जो धुआं निकलता है, इसका साईड इफेक्ट होता है। कंपनी से जिसे सहयोग मिलेगा वह साईड इफेक्ट झेल सकता है। औद्योगिक क्षेत्र में भूजल पीने लायक नही रहता है। वहां टैंकर से पानी आता है। अगर यह कंपनी खुलता है तो क्या यहां भी ऐसा हो जायेगा क्या।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री अनिल कुमार अग्रवाल, डायरेक्टर द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मौखिक मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :–

- हमारे उद्योग में 250 प्रत्यक्ष रोजगार होगा तथा 500 अप्रत्यक्ष रोजगार होगा जिसमें स्थानीय लोगों को ही दिया जायेगा शासन के द्वारा तय किये गये दर पर ही वेतन दिया जायेगा।
- विकास कार्य सीएसआर के तहत स्थानीय गांव में ही किया जायेगा।
- उद्योग लगने से परिवहन की सुविधा बढ़ती है, दुकाने खुलती है जिससे लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है।
- वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्याप्त व्यवस्था किया जायेगा।
- उद्योग में ईटीपी एवं एसटीपी से जल का उपचार किया जायेगा और शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी।
- उद्योग में बांध का पानी का उपयोग नही किया जायेगा।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 48 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणीयां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 23 व्यक्तियों (01 व्यक्ति द्वारा दो बार एवं 01 व्यक्ति द्वारा तीन बार उद्बोधन) के द्वारा कुल 20 व्यक्तियों द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमुदाय में से कुल 70 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जनसमुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 02:05 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–दुर्ग